14/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला उपरान्त होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।